प्रश्न सं. [क्र. 1879]

①

// जॉच प्रतिवेदन//

संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल, के आदेश क्रमांक 753/22/वि-7/पीएमएवायजी/2022 भोपाल, दिनांक 23.01.2023 के क्रम में गठित जॉच दल सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह संयुक्त आयुक्त (विकास) चंबल संभाग मुरैना एवं श्री राकेश खरे प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड दिनांक 15/02/2022 को जनपद पंचायत लहार में उपस्थित हुए। शिकायतों की बिन्दुवार जॉच निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक-1 - जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरूण कुमार त्रिपाठी द्वारा पंचायत सचिव से मिलीभगत कर प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में की जा रही अनियमितता/भ्रष्टाचार की जॉच कराने जाने बावत।

सर्वप्रथम उक्त बिन्दु के संबंध में जनपद पंचायत लहार में पदस्थ आवास प्रभारी श्री नवल सिंह चौहान से आवास स्वीकृत करने, किस्त देने एवं पूर्णता के संबंध में चर्चा की गई, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में अवगत कराया गया कि ऐसे हितग्राही जिनके नाम एस.ई.सी.सी 2011 की सूची में से किन्हीं कारणवश पंचायत की सूची में से छूट गये थे ऐसे नामों को वर्ष 2018 में आवास प्लस पोर्टल पर ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जोडने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसके पश्चात वर्ष 2022 में आवास प्लस योजना अंतर्गत जनपद पंचायत लहार को कुल 893 हितग्राहियों का लक्ष्य राज्य शासन से प्राप्त हुआ था। आवास प्लस सूची का सत्यापन अनुविभाग स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया एवं अपात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर पोर्टल से पृथक किया गया इसके पश्चात ग्राम पंचायत की वरीयता सूची अनुसार मेरिट के अनुरूप पंचायत लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों का पंजीयन एवं जियोटेग किया गया। पंजीयन में हितग्राही का खाता क्रमांक एवं अन्य जानकारियां दर्ज की गई। स्वीकृति पश्चात प्रथम किस्त की राशि जनपद पंचायत से एफ.टी.ओ के माध्यम से हितग्राही के खाते में जारी की गई। तदउपरांत राशि से निर्धारित कार्य कराने के उपरांत आवास कार्य पूर्ण होने एवं जियोटेग होने के पश्चात अंतिम किस्त दिए जाने का प्रावधान है।

उल्लेखित ग्रामों के आवास की शिकायत मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। उपरोक्त बिन्दुओं की जॉच के संबंध में ग्राम पंचायत देवरीकलाँ में मौका स्थल पर जाकर शिकायत से संबंधित श्री पंकज तिवारी को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की जॉच की गई। जॉच के दौरान श्री पंकज तिवारी को स्वीकृत आवास का निर्माण कार्य छत्त स्तर तक दीवार की चिनाई का कार्य पूर्ण पाया गया। मौका स्थल के पास ही श्री पंकज के पिताजी का स्वयं का आवासीय भवन निर्मित है। श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया कि वे बालिग एवं अविवाहित हैं। इसी प्रकार इसी ग्राम पंचायत में अन्य हितग्राही श्री महेश तिवारी को स्वीकृत निर्माणाधीन आवास का स्थल निरीक्षण किया गया यह स्वीकृत आवास हितग्राही द्वारा ग्रामीण बस्ती में नहीं बनाते हुए अपने खेत में बनाया जा रहा है जहाँ निर्माणाधीन आवास शासन मापदण्ड के अनुरूप न होकर छोटा बना है, जो उसके भाई के नवीन निर्मित आवास से जुड़ा हुआ बनाया जा रहा है, वर्तमान में निर्माण कार्य छत्त स्तर तक दीवार की चिनाई का कार्य पूर्ण पाया गया।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त शिकायत के विन्दु के संवध में ग्राम पंचायत देवरीकलां के वर्तमान में कार्यरत सरपंच, सचिव से हुई चर्चा में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवास प्लस में ग्राम स्तर पर हितग्राहियों को जोडने की कमेटी द्वारा परीक्षण किये जाने के पशचात मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी लहार के द्वारा परीक्षण किया गया तदोपरांत ग्राम सभा में अनुमोदन के उपरांत चयन किया गया। इसमें जनपद पंचायत लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यक्तिगत चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होने की बात कही है।

विन्दु क्रमांक-2 - ग्राम पंचायत मड़ोरी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड के सचिव एवं रोजगार सहायक के द्वारा शासकीय राशि हड़पने के संबंध शिकायत में ग्राम पंचायत मड़ोरी के ऑनलाईन दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार मेढ़बंधान, नवीन तालाब, खेत तालाब, अमृत सरोवर इत्यादि निर्माण कार्य प्रदर्शित हुए हैं। उक्त कार्यों में क्षरण होना प्रतीत होता है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को विस्तृत जॉच /परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाईन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथमदृष्ट्या राशि का गबन होना प्रतीत नहीं होता है। (छायाप्रति संलग्न है)

बिन्दु क्रमांक-3 - श्री अरूण कुमार त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत लहार द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संवध में।

उपरोक्त शिकायत के संबंध में जनपद पंचायत लहार की पंचायत देवरीकलां एवं अन्य पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत श्री अरूण कुमार त्रिपाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी वात सामने नहीं आई है।

विन्दु क्रमांक-4 - जनपद लहार में व्याप्त भ्रष्टाचार के संवध में बिन्दुवार जानकारी।

उपरोक्त शिकायत के संबंध में जनपद पंचायत लहार की पंचायत देवरीकलां एवं अन्य पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत श्री अरूण कुमार त्रिपाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी वात सामने नहीं आई है।

बिन्दु क्रमांक-5 - श्री एम. राजन पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत लहार द्वारा आवास योजना में की गई अनियमितता/भ्रष्टाचार के संबंध में।

बिन्दु 5 के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में आवास पात्रता सर्वे सूची एवं वर्ष 2018 में आवास प्लस की पात्रता सूची तैयार हुई थी, जिसके आधार पर आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन दोनों आवास सूची से अलग जनपद पंचायत लहार के आवास शाखा प्रभारी श्री एम.राजन द्वारा अवांछित रूप से अपात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत करवाये गये। शिकायत की जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री एम. राजन पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत लहार की विभागीय जॉच कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के आदेश क्रमांक/7601 भिण्ड, दिनांक 19.12.2022 द्वारा संस्थित की जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये तथा विभागीय जॉच संचालित रहने तक श्री एम राजन को जनपद पंचायत भिण्ड में अनुलग्न किया गया है। वर्तमान में श्री एम राजन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। (छायाप्रति संलग्न है)

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्रमांक-6 - जनपद पंचायत लहार में संचालित सिंगल विण्डो (एकल खिड़की) की प्रगति से अवगत कराने बावत।

उपरोक्त बिन्दु के क्रम में लेख है कि जनपद पंचायत लहार में संचालित सिंगल विण्डो (एकल खिड़की) का निरीक्षण किया गया। यह नवाचार एक सराहनीय पहल है। निरीक्षण में सिंगल विण्डो (एकल खिड़की) हेतु संधारित पंजी का अवलोकन किया गया सिंगल विण्डो का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न है)

बिन्दु क्रमांक-7 - अन्य विषय जो जाँच के दौरान सामने आये।

उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के जन प्रतिनिधियों की समय-समय पर आहूत किये जाने वाली बैठकों में शासन के दिशा निर्देश, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के समय पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में अवगत कराने में समन्वय का अभाव के कारण जन प्रतिनिधियों में नाराजगी परिलक्षित हुई।

(राकेश खरे)
प्रभारी, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला भिण्ड

(राजेन्द्र सिंह) 16/02/23
संयुक्त आयुक्त (विकास)
चम्बल संभाग मुरैना

Scanned with CamScanner